an>

Title: Need to appoint a senior Solicitor in writ petition number 202 of 1995 and 1996.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) ः सिंधुदुर्ग जिले में भारी मात्रा में निजी वन क्षेत्र कई वर्षों पहले प्रकाश में आये। करीबन 40,242 हैक्टेयर निजी जमीन के ऊपर 15 वर्षों पहले वन स्वदन्य (प्राइवेट फॉरेस्ट लैण्ड) की गई उसी कारण वहां के स्थानीय ग्रामवासियों के सामने मुसीबतें खड़ी हुइप। खुद की जमीन होने के बावजूद भी उसका प्रयोग ग्रामवासी कर नहीं सकते न ही घर के लिए और न ही अन्य किसी के लिए। ग्रामवासियों ने कई शिकायतें जिला प्रशासन और महाराष्ट्र के महसूल विभाग के पास कई बार की है। जिला प्रशासन सिंधदुर्ग जिला और महाराष्ट्र के महसूल विभाग ने ग्रामवासियों की शिकायतों की जांच की और 40,366 हैक्टेयर निजी जमीन निजी वन क्षेत्र से निकालने की सिफारिश केंद्र सरकार के पास की। यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है। केंद्र सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जो दावा (writ petition number 202 (1995 and 1996) प्रलंबित है, उस विषय में केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ सोलिसिटर की नियुक्ति करने की जरूरत है।